

09 फरवरी 2012 को पुणे में संपन्न स्पाइसेस बोर्ड की 74 वीं बैठक के कार्यवृत्त

स्पाइसेस बोर्ड की 74 वीं बैठक 09 फरवरी 2012 को दोपहर बाद 2.00 बजे होटल वेस्टिन, पुणे में संपन्न हुई। डॉ. ए. जयतिलक, भा.प्र.से, अध्यक्ष, स्पाइसेस बोर्ड ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :-

1. श्री रोय के. पाउलोस	उपाध्यक्ष
2. डॉ.एम. आनन्द राज	सदस्य
3. श्री प्रदीप कुमार (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि)	
4. डॉ. विजू जेकब	सदस्य
5. श्री फिलिप कुरुविला	"
6. श्री पी.जे.कुञ्जचन	"
7. श्री के.एम. सुलतान इब्राहीम	"
8. श्रीमती सुषमा श्रीकण्ठत्त	"
9. श्री माधवन	"
10. श्री अबुल कलाम	"
11. श्री जोर्ज वैली	"
12. श्री जोजो जोर्ज	"
13. श्री जी. मुरलीधरन	"
14. एडवोकेट जोय तोमस	"

सचिव, कृषि, केरल सरकार की अनुपस्थिति में डॉ.के.प्रतापन, निदेशक, राज्य बागवानी मिशन, केरल प्रेक्षक के रूप में उपस्थित रहे।

निम्नलिखित सदस्यों को अनुपस्थिति छुट्टी प्रदान की गई:

1. श्री अनन्त कुमार हेगडे, सांसद (लो.स.)	सदस्य
2. श्री पी.टी.तोमस, सांसद (लो.स.)	"
3. श्री एस. तंकवेलू, सांसद (रा.स.)	"
4. श्री संजीव चोपडा	"
5. श्रीमती सुतापा मजुंदार	"
6. श्रीमती अमरीत राज	"
7. श्री अजय जे. मारिवाला	"
8. डॉ. एन.सी.साहा	"
9. डॉ. जी. वेंकटेश्वर राव	"
10. श्री के.सी. प्रधान	"

निम्नलिखित सदस्य अनुपस्थित थे:

1. श्री राजेन्द्र पी. गोखले
2. श्री उमेष कुमार
3. श्री के. के. सिंह

बोर्ड के निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित थे:

1. श्री पी.एम. सुरेशकुमार, सचिव और निदेशक(विपणन)
2. श्री एस. सिद्धरामप्पा, निदेशक(विकास)
3. श्री के.सी.बाबू, निदेशक(वित्त)
4. डॉ. एम.आर.सुदर्शन, निदेशक(अनुसंधान)
5. श्री के.आर.के. मेनोन, वैज्ञानिक 'सी', गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला

सर्वप्रथम, अध्यक्ष महोदय ने पुणे में ग्यारहवीं विश्व मसाला कॉंग्रेस के साथ आयोजित बोर्ड-बैठक में सदस्यों का स्वागत किया। उसके बाद कार्यसूची मर्दानों पर विचार किया गया।

मद सं. 1: 15.11.2011 को आयोजित 73 वीं बोर्ड-बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

पुष्टि की गई।

मद सं. 2: 15.11.2011 को संपन्न 73 वीं बोर्ड-बैठक के निर्णयों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट

सचिव ने पिछली बोर्ड-बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई का संक्षिप्त विवरण दिया। बोर्ड ने नोट किया। सदस्यों ने इन निर्णयों पर विस्तृत चर्चा की थी।

'स्पाइसेस गोवर्स सोसाइटी' के गठन के प्रस्ताव (क्र.सं. 5 में) के संबंध में सभी कृषकों को इसमें शामिल करने तथा उनकी पात्रता 4 हेक्टेयर तक ही सीमित करने का निर्णय लिया गया।

इलायची विपणि संवर्धन पर साउदी अरब के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजने के संबंध में, (क्र.सं. 7 में) इलायची पर विपणि अनुसंधान अध्ययन को भी शामिल करते हुए प्रतिनिधि मंडल का कार्यक्षेत्र बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया। ऐसा अध्ययन चलाने के लिए किसी पेशेवर एजेंसियों का चयन करने तथा यथासमय अलग रूप से यह कार्य सौंपने का निर्णय लिया गया।

इ-नीलाम प्रणाली सहित इलायची के घरेलू विपणन का नियंत्रण करनेवाले मौजूदा नियमों व विनियमों की पुनरीक्षा/संशोधन के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन (क्र.सं. 9 में) के संबंध में बोर्ड के उपाध्यक्ष और विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष श्री रोय के. पाउलोस ने पेनल का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की समयावधि को और दो महीने में बढ़ाने का अनुरोध किया और बोर्ड द्वारा इसकी सहमति दी गई।

स्पाइस हाउस प्रमाणन (क्र.सं. 11 में) के संबंध में, यह सुझाया गया कि रजिस्ट्रीकृत निर्यातकों के मसाला प्रसंस्करण यूनिटों को लाइसेंस देने में स्पाइसेस बोर्ड को शामिल करने के लिए स्पाइसेस बोर्ड को एफ एस एस ए आई से संपर्क करना चाहिए।

मसाला निर्यातकों को उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार व ट्रॉफियाँ प्रदान करने के संबंध में उप-समिति की सिफारिश को परिचालित करने का निर्णय लिया गया।

मद सं. 3 मसाला उद्योगों के तकनीकी कर्मियों के लिए मसालों व मसाला उत्पादों के विश्लेषण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

नोट किया गया।

मद सं. 4: प्रादेशिक गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, मुम्बई को एन ए बी एल प्रत्यायन प्राप्त

बोर्ड ने मुम्बई की गुणवत्ता प्रयोगशाला की उपलब्धि नोट की। चेन्नई, तूतुकोरिन व दिल्ली की गुणवत्ता प्रयोगशालाओं के लिए एन ए बी एल प्रत्यायन प्राप्त करने के लिए समय-सीमा निर्धारित करने का सुझाव रखा गया।

श्रीमती सुषमा श्रीकण्ठत ने एन ए बी एल प्रत्यायन की प्राप्ति तथा भारत से निर्यातित मसालों में एफ्लाटोक्सिन/सुडान स्तरों की जाँच केलिए उठाए जानेवाले प्रयासों के तहत गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला को बधाई दी । नौभार-पूर्व अनिवार्य सख्त नमूनन ने लक्ष्य-पत्तन पर पता लगानेवाले मामले काफी कम कर दिए हैं और भारत से निर्यात किए जानेवाले मसालों पर कड़े नियम बरकरार रखने के प्रति हमारे दृष्टिकोण को मजबूत बनाने केलिए इसे ई सी / ई यू को रिपोर्ट किया जाना चाहिए ।

गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, मुम्बई को एन ए बी एल प्रत्यायन का अनुमोदन प्राप्त होने की बात पर द्वारा ई यू पदधारियों को सूचित करने का निर्णय लिया गया।

विदेशों में देश की शान बढाने केलिए पी आर एजेंसी को नियुक्त करने की बात पर उत्तर देते हुए अध्यक्ष महोदय ने विदेश से किसी पी आर परामर्शदाता की नियुक्ति पर होनेवाली वित्तीय समस्याओं पर ध्यान दिलाया और आगे बताया कि भारत में रहनेवाले विदेशी संवाददाताओं की सेवा का उपयोग करने का प्रस्ताव है।

मद सं. 5 स्पाइसेस बोर्ड की गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला द्वारा विश्लेषण किए गए परेषण नमूनों की स्थिति

सदस्यों ने नमूनों में एफ्लाटोक्सिन/सुडान की परेषण जांच पर प्रयोगशाला-वार, माह-वार, क्षेत्र-वार/निर्यातक-वार प्रवृत्तिपरक विश्लेषण चलाने का प्रस्ताव किया।

मद सं.6 ई यू भेजनेवाले अदरक व हल्दी(साबुत) को अनिवार्य नौभार-पूर्व नमूनन के अधीन शामिल करना

बैठक में 01 अप्रैल 2012 से लेकर ई यू भेजनेवाले अदरक व हल्दी (साबुत) में अनिवार्य नमूनन लागू करने का निर्णय लिया गया ।

मद सं. 7 सिलपॉलीन/एच डी पी ई तिरपॉल शीटों की आपूर्ति

मिर्च सुखाने केलिए सिलपॉलीन शीटों की उपयुक्तता की पुनरीक्षा करने का प्रस्ताव किया गया। स्पाइस ग्रोविंग सोसाइटियों के ज़रिए प्रमुख उत्पादन केन्द्रों में सामान्य सुविधाएँ प्रदान करने का भी प्रस्ताव किया गया।

मद सं. 8 बागान श्रमिकों के बच्चों के शैक्षिक वजीफे में वृद्धि

शैक्षिक वजीफे में यथाप्रस्तावित वृद्धि लाने का निर्णय लिया गया। बोर्ड ने अगली योजनावधि के दौरान इस राशि में उचित वृद्धि लाने की सिफारिश की ।

मद सं. 9 आई सी आर आई, मैलाडुम्पारा द्वारा आयोजित मोबाइल स्पाइस क्लिनिक की स्थिति

नोट की गई।

आई सी आर आई द्वारा इलायची में 'अष्कुल' मामले पर किए गए प्रयासों पर उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए निदेशक(अनु.) ने कहा कि बोर्डों मिश्रण जैसे कवकनाशी की समय पर रोग रोधी छिडकाव करने से 'अष्कुल' रोग कारगर ढंग से नियंत्रित कर सकता है।

मद सं. 10: मसाला पाकों की स्थापना संबंधी स्थिति

नोट की गयी ।

सदस्यों ने फ्लेवरिड स्पाइसेस ट्रेडिंग लिमिटेड (एफ एस टी एल) के स्वरूप और कार्य संचालन, एफ एस टी एल पर स्पाइसेस बोर्ड के नियामक व कार्यात्मक नियंत्रण तथा मसाला पार्क ,पुट्टडी के साथ इसके संबंध की सीमा पर विस्तृत रिपोर्ट और एफ एस टी एल के गठन ,उसके बजटीय उपबंध और स्टाफ की नियुक्ति संबंधी सभी संगत सूचनाएं प्रस्तुत करने की इच्छा प्रकट की और उन्होंने अगली बोर्ड -बैठक में रिपोर्ट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।

मद सं. 11 : गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला और प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना संबंधी स्थिति

नोट की गयी ।

श्री जी. मुरलीधरन ने पुट्टडी में गुणवत्ता प्रयोगशाला की स्थापना के बारे में जानना चाहा। निदेशक (विपणन) ने स्पष्ट किया कि इलायची के अगमार्क पैरामीटरों की जाँच के लिए अगले वित्तीय वर्ष में गुणवत्ता प्रयोगशाला स्थापित की जायेगी ,जिससे कृषक अपने उत्पादों के पैरामीटरों की जाँच करने में कामयाब हो जायेंगे। प्रयोगशाला से प्राप्त यह विश्लेषण -परिणाम अपने उत्पाद के भण्डारण हेतु सी डब्ल्यू सी रसीद प्राप्त करने के लिए सी डब्ल्यू सी को तथा ऋण पाने के लिए बैंक को प्रस्तुत की जा सकती है।

मद सं. 12 : अप्रैल-नवंबर 2010 की तुलना में अप्रैल- नवम्बर 2011 के दौरान भारत से मसालों के निर्यात की पुनरीक्षा

नोट की गयी। अद्यतन निर्यात आंकड़ों को सदस्यों के बीच परिचालित करने का निर्णय लिया गया ।

अतिरिक्त मद संख्या 1 : स्पाइसेस बोर्ड के तत्वावधान में 'पूर्व समिति रजिस्ट्रीकरण अधिनियम ' के अधीन मिर्च कृषक समिति के गठन का प्रस्ताव

बोर्ड ने प्रस्ताव नोट किया ।

अतिरिक्त मद सं :2 : मसालों के लिए टास्क फ़ोर्स

निम्न लिखित मदों के लिए टास्क फ़ोर्स गठित करने का निर्णय लिया गया:

i)मिर्च, ii) कालीमिर्च, iii) हल्दी, iv)इलायची, v)बीजीय मसाले, vi) जायफल, vii) मसाला तेल और तैलीराल

बोर्ड ने निम्नलिखित बोर्ड -सदस्यों को संबंधित टास्क-फ़ोर्स के अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से मनोनीत किया:-

- i) मिर्च : श्री फिलिप कुरुविला
- ii) कालीमिर्च : श्रीमती सुषमा श्रीकंठत्त
- iii) हल्दी : श्री पी.जे. कुञ्जचन
- iv) इलायची : श्री जोजो जोर्ज
- v) बीजीय मसाले : श्री राजेंद्र पी.गोखले
- vi) जायफल : श्री जोर्ज वैली
- vii) मसाला तेल व तैलीराल : डॉ. विजू जेकब

बोर्ड ने संबंधित खास क्षेत्रों के बारे में अध्ययन चलाने और बोर्ड को सलाह देने के लिए उस क्षेत्र के पणधारियों को सदस्य के रूप में शामिल करते हुए समिति का गठन करने के लिए संबंधित टास्क-फोर्स के अध्यक्ष को प्राधिकृत किया ।

अध्यक्ष महोदय ने इलायची के पी एस एफ टी की वर्तमान स्थिति स्पष्ट की और सूचित किया कि बोर्ड मंत्रालय की ओर से निर्णय की प्रतीक्षा में है ।

इलायची बागानों में बंदरों के आक्रमण के प्रबंधन के लिए बोर्ड के समर्थन हेतु श्री अबुल कलाम के अनुरोध का जवाब देते हुए अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि बंदरों के आक्रमण के प्रबंधन के लिए फिश नेट वितरित करने की संभाव्यता के बारे में स्पाइसेस बोर्ड द्वारा एक प्राथमिक अध्ययन चलाया जा सकता है ।

नए कार्यालयों को खोलना और रिक्त पदों को भरना बाबत सदस्यों के अनुरोध का जवाब देते हुए अध्यक्ष महोदय ने अपर्याप्त श्रमशक्ति के कारण नए कार्यालयों को खोलने की कठिनाइयों को स्पष्ट किया। रिक्त पदों को भरने के बारे में, अप्रैल-मई 2012 के दौरान सामान्य स्थानान्तरण के समय विचार किया जाएगा ।

अध्यक्ष महोदय ने डॉ.के. प्रतापन से, जिनका नामांकन केरल सरकार के प्रतिनिधि के अभाव में प्रेक्षक के रूप में किया गया था, अपने विचार प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। उन्होंने निम्नानुसार सुझाव दिए:

क) 4 हेक्टर तक के लिए सहायता पाने हेतु लघु कृषकों की परिभाषा में परिवर्तन लाना और उन्होंने बोर्ड से अपनी योजनाओं की पात्रता का निर्धारण करते समय समान मानदंड का अनुपालन करने का अनुरोध किया।

ख) उन्होंने कालीमिर्च की गुणवत्ता रोपण सामग्रियों के उत्पादन में लगी हुई सभी एजेंसियों के एक सहयोजित प्रयास का सुझाव रखा।

ग) उन्होंने यह भी सूचित किया कि केरल सरकार कालीमिर्च और अदरक के लिए एम एस पी पर विचार कर रही है।

अतिरिक्त मद सं. 3: ऊर्जा लेखापरीखा रिपोर्ट के अनुसार ऊर्जा बचत प्रस्तावों का कार्यान्वयन

नोट किया गया।

अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों से धन्यवाद अदा किया और विश्व मसाला काँग्रेस में भाग लेने के लिए उनका स्वागत किया ।

बैठक सायं 3.30 बजे समाप्त हुई ।

.....